कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/ 378 दिनांक : 05 अगस्त, 2022

नीलामी सूचना

गत् वर्षों की भाँति उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अमरूद बाग की बिक्री दिनांक 13.08.2022 के अपराह्न 02.30 बजे खुली बोली/ऑफर के माध्यम नीलामी आयोजित की जायेगी।

नीलामी की शर्ते :–

1. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनांक 13.08.2022 को केंद्र के कार्यालय में प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक धनराशि रु0 50,000.00 बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार अमरूद बागों का भली–भाँति निरीक्षण कर लें, बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया रु0 50,000.00 के बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपनी पार्टी/वेन्डर का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
5. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
6. उच्चतम सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी में बोली गई उच्चतम धनराशि में ही 4 प्रतिशत धनराशि ई0एस0आई0 के रूप में एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के रूप सम्मलित रहेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा, प्रथम 40 प्रतिशत धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गई धनराशि रु0 50,000.00 को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता हैं, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गई धनराशि रु0 50,000.00 को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
8. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
9. कुलपति महोदय से बोली की स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को पंजीकृत डाक/व्हाट्सप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, उच्चतम धनराशि की 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी साथ ही उच्चतम राशि की 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। जिसको नियमानुसार ठेका समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा की गई धनराशि रु0 50,000/– को समायोजित नहीं की जायेगी। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता हैं तो वह 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ अगले 15 दिन तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता हैं, तो ठेका निरस्त कर ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि (रु0 50,000.00+40 प्रतिशत प्रथम किस्त) को जब्त कर लिया जायेगा।
10. ठेकेदार को शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। इसमें पूर्व में जमा रु0 50,000.00 को समायोजित कर लिया जायेगा।

11. शोध कार्य हेतु ठेकेदार को फलो की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

लाट सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	शोध कार्य हेतु दिये जाने वाले फल की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से फल तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1 नं0	अमरूद बाग	4बी एवं 96 नं0	08 एकड़ प्रक्षेत्र में (7.5 एकड़ क्षेत्रफल में 5–10 वर्ष से अधिक आयु के एवं 0.50 एकड़ में 5 वर्ष से कम आयु के पौधे सम्मिलित है।)	600 कि0ग्रा0	100 फल
2 नं0		5, 6बी, 6सी, 12बी	03 एकड प्रक्षेत्र में (05 वर्ष से अधिक आयु के पौधे)	500 कि0ग्रा0	100 फल

12. जिन फल वृक्षों पर शोध कार्य चल रहा है, उन वृक्षों के फल ठेकेदार द्वारा शोधकर्ता की उपस्थिति में तोड़े जायेगें।
13. नीलाम की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को किसी अन्य फसल से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
14. बोली स्वीकृति होने के पश्चात बोलीदाता को विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु0 100/– के (स्वयं के व्यय पर) नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध करना होगा।
15. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र या विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुचानें की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार के स्वयं का होगा।
16. बाग की सफाई, रखवाली, ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो पर लगाये गये श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कर प्रमाण–पत्र भी केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा पके फल ही तोडे जायेंगे, पेडों की टहनियो को नहीं तोड़ा जायेगा।
18. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद में माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।
19. अमरूद बागों के ठेके की अवधि दिनांक 31.03.2023 तक होगी।

JD, HRC
Joint Director
H.R.C. Patharchatta
A.A.